बिहार सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
(अधिसूचना)

संख्या........3073.../पटना, दिनांक– 29/07/2015

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल उद्योग विभाग के हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में हस्तकरघा प्रक्षेत्र के तकनीकी पदों की भर्त्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

1. <u>संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।–</u> (1) यह नियमावली "बिहार **हस्तकरघा तकनीकी** अधीनस्थ संवर्ग नियमावली, 2015" कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. <u>परिभाषाएँ ।–</u> इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
   (i) " सरकार " से अभिप्रेत है, बिहार – सरकार;
   (ii) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना
   (iii) 'संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी' से अभिप्रेत है निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना
   (iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है उद्योग विभाग, बिहार, पटना
   (v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग तथा
   (vi) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है राज्य सरकार के **हस्तकरघा** प्रक्षेत्र के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न कोटि के तकनीकी कर्मियों का संवर्ग।
   (vii) 'निदेशालय से अभिप्रेत है, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय
3. <u>संवर्ग का गठन ।–</u> (1) **हस्तकरघा** प्रक्षेत्र के तकनीकी पदों की संवर्ग में निम्नलिखित कोटि के पद होंगे।
   (क) कुशलशिल्पी
   (ख) वरीय अनुदेशक/सहायक पर्यवेक्षक/दक्ष बुनकर–
   (ग) तकनीकी सहायक–
   (घ) तकनीकी पर्यवेक्षक एवं अन्य समकक्ष –
   (2) इस नियमावली के आरंभ होने के पूर्व उल्लिखित कोटियों/श्रेणियों में नियमानुसार नियुक्त/समायोजित एवं कार्यरत व्यक्ति स्वतः ही इस संवर्ग में शामिल समझे जाएंगे।
4. <u>प्राधिकृत बल ।–</u>
   इस संवर्ग में प्राधिकृत बल की संख्या वही होगी, जो विभाग द्वारा विनिश्चित की जाए।
5. <u>आरक्षण ।–</u>
   सेवा या संवर्ग में नियुक्ति/प्रोन्नति में राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित आरक्षण नीति/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

6. <u>भर्त्ती ।–</u> (1) संवर्ग में प्रवेश बिन्दु :– इस संवर्ग में पदों के सोपान तंत्र के अनुसार उनके प्रवेश बिन्दु, शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता एवं अपेक्षित अनुभव निम्न प्रकार से होंगे :–

क्र0 सं0	हस्तकरघा सेवा संवर्ग के विभिन्न कोटि/श्रेणी के विभिन्न पदों का नाम	नियुक्ति		सीधी नियुक्ति हेतु योग्यता शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, अनुभव
		सीधी नियुक्ति का प्रतिशत	प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति का प्रतिशत	
1	2	3	4	5
1.	कुशल शिल्पी	100	–	मान्यता प्राप्त संस्थान से टेक्सटाइल/हस्तकरघा में सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा
2.	वरीय अनुदेशक/सहायक पर्यवेक्षक/दक्ष बुनकर	75	25	उपर्युक्त शैक्षणिक योग्यता के साथ 5 (पाँच) वर्षों का इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव
3.	तकनीकी सहायक	–	100	–
4.	तकनीकी पर्यवेक्षक/पर्यवेक्षक	100	–	मान्यता प्राप्त संस्थान से वस्त्र प्रौधोगिकी में डिग्री या समकक्ष अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तकरघा प्रौधोगिकी में डिप्लोमा या समकक्ष

इस कोटि/श्रेणी में सेवा में प्रवेश का बिन्दु क्रमांक– 1, क्रमांक– 2 एवं क्रमांक– 4 के स्तर पर होगा जिसमें क्रमशः प्राधिकृत बल का 100, 75, 100 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी।

(2) प्रत्येक पंचाग वर्ष के 1 अप्रैल तक सीधी भर्ती के साथ–साथ प्रोन्नति से भरी जाने वाली रिक्तियों का आकलन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए समय–समय पर, विनिश्चित की जाय।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए होने वाली रिक्तियों के लिए आरक्षण कोटिवार, अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जाएगा तथा बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रतियोगिता परीक्षा की प्रक्रिया आयोग द्वारा विनिश्चत किए जाएंगे। परीक्षा का आयोजन, आवेदन की प्रक्रिया, परीक्षा फीस, प्रपत्र एवं अन्य बातें बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली– 2010 तथा समय–समय पर इस प्रयोजनार्थ निर्गत निदेश के अनुसार होंगी।

(5) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार करेगा। ऐसी तैयार की गई सूची में से आयोग उतनी संख्या में सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा नियुक्ति प्राधिकारी को करेगा, जितनी संख्या में उद्योग विभाग द्वारा बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को रिक्तियाँ अधियाचित की गई हों।

7. **अहर्त्ताएं** ।– (1) सीधी नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्राप्त आवेदनों के अनुसार सभी योग्य अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा लेगा।

(2) लिखित परीक्षा निम्नलिखित विषयों की होगी। विषयों के नाम परीक्षा की अवधि तथा पूर्णांक निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगा :–

(i) कुशल शिल्पी, वरीय अनुदेशक, सहायक पर्यवेक्षक एवं दक्ष बुनकर संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा का विषय, अवधि एवं पूर्णांक :–

परीक्षा का विषय, अवधि एवं पूर्णांक :–

क्र० सं०	विषय	अवधि	पूर्णांक
(i)	सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100
(ii)	हिन्दी	3 घंटे	100
(iii)	तकनीकी विषय	3 घंटे	200
	कुल		400

(नोट :– हिन्दी विषय की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इस विषय में प्राप्त अंक मेधा सूची मे नहीं जोड़ा जाएगा।)

कुशल शिल्पी, वरीय अनुदेशक, सहायक पर्यवेक्षक एवं दक्ष बुनकर संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तकनीकी विषय का पाठ्यक्रम :–

Certificate courses in Handloom Technology

Subject :- Spinning, Weaving, Dying, Textile Testing and Quality Control, Industrial Management.

(ii) तकनीकी पर्यवेक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा का विषय, अवधि एवं पूर्णांक :–

परीक्षा का विषय, अवधि एवं पूर्णांक :–

क्र० सं०	विषय	अवधि	पूर्णांक
(i)	सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100
(ii)	हिन्दी	3 घंटे	100
(iii)	अंग्रेजी	3 घंटे	100
(iv)	तकनीकी विषय	3 घंटे	200
	कुल		500

(नोट :– हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, परन्तु इन विषयों में प्राप्त अंक मेधा सूची मे नहीं जोड़ा जाएगा।)

तकनीकी पर्यवेक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयोजित होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तकनीकी विषय का पाठ्यक्रम :–

- Fibre and Yarn Technology/Textile Fibre/Yarn Formation/New Generation Fibre
- Weaving Technology and Textile calculation/Fabric formation
- Fabric structure and analysis/Design and Structure of Fabric

- Chemical processing of Textile
- Textile Testing and Instrument
- Textile Mechanics/Applied Mechanics
- Information Technology In Textile/Computer Application In Textile
- Values and Ethic In Textile Profession

8. **परिवीक्षा–अवधि** ।– नियम– 6 (1) के तहत् संबंधित पदों पर सीधे नियुक्त तकनीकी कर्मियों के लिए नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की अवधि परिवीक्षा अवधि होगी। इसका विस्तार एक वर्ष के लिए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा, यदि परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं हो। ऐसा अवधि विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधारक व्यक्ति में सुधार की गुंजाइस हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जाएगा।
9. **प्रशिक्षण** ।– परिवीक्षा अवधि एवं उसके पश्चात् सेवा काल में राज्य सरकार/निदेशालय द्वारा आदेशित ऐसे प्रशिक्षण में भाग लेना आवश्यक होगा, जो समय–समय पर इस हेतु विनिश्चित की जाएगें।
10. **संपुष्टि** ।– (1) परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त कोई कर्मी, अपनी परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक समाप्ति एवं राज्य सरकार द्वारा नियत प्रशिक्षण पूरा करने के पश्चात् ही निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना द्वारा संपुष्ट किया जा सकेगा किन्तु इसके पूर्व इन कार्मिकों को हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर योग्यता की जाँच में उत्तीर्ण होना होगा। हिन्दी टिप्पण एवं प्रारुपण परीक्षा तथा कम्प्यूटर योग्यता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही दूसरी वेतनवृद्धि अनुमान्य होगी। उपरोक्त कोटि की सभी जाँच परीक्षाओं का आयोजन नियमानुसार राजस्व पर्षद/राजभाषा विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्य नामित "स्टेच्युटरी" संस्थाओं द्वारा किया जाएगा।
    (2) कम्प्यूटर योग्यता की जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होने संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित परिपत्र प्रभावी होगा।
11. **प्रोन्नति** ।– (1) इस संवर्ग में प्रोन्नति के पद सोपान एवं उसका प्रतिशत जैसा कि नियमावली के नियम– 6(1) में अंकित है के अनुसार निम्नवत् रहेंगे :–

क्र0 सं0	उसका पदनाम जिससे प्रोन्नति दी जाएगी	प्रोन्नत पद के प्राधिकृत बल का प्रतिशत जिसमें प्रोन्नति दी जाएगी	प्रोन्नति वाले पद का नाम
1	*2*	*3*	*4*
1.	कुशलशिल्पी	25	वरीय अनुदेशक/सहायक पर्यवेक्षक/ दक्ष बुनकर/फिनिशिंग जॉबर
2.	वरीय अनुदेशक/सहायक पर्यवेक्षक/दक्ष बुनकर	100	तकनीकी सहायक
3.	तकनीकी पर्यवेक्षक/ पर्यवेक्षक	100	बिहार उद्योग सेवा संवर्ग में प्रोन्नति

(2) कार्मिकों को मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर विनिश्चित शर्तों के अनुरुप तैयार की गई वरीयता सूची के आधार पर, एवं नियत कालावधि एवं प्रोन्नति की सभी शर्तें पूरा करने, के पश्चात् निदेशालय स्तरीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(3) प्रोन्नति समिति का गठन उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा।

12. **अवशिष्ट मामले** ।– ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रुप से आच्छादित नहीं है, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

13. **कठिनाईयों का निराकरण** ।– नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण विधि विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

14. **निर्वचन** ।– जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई आशंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श से विनिश्चत किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.. दिनांक–....................................

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि गजट की एक सौ अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.. दिनांक–....................................

प्रतिलिपि– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.. दिनांक–....................................

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– उ0वि0/स्था0-ले0नियमावली–07/08 दिनांक–..........

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना, सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– उ0वि0/स्था0-ले0नियमावली–07/08–3073 दिनांक– 29/07/2015

प्रतिलिपि– उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, दीघा, पटना/सहायक उद्योग निदेशक(लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी पदाधिकारियों /आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 24/07
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(5)